

न्यायालयः डॉ. कुलदीप जैन, विशेष न्यायाधीश (विद्युत) भिण्ड (म०प्र०)

आदेश दिनांक-06.02.2017

प्र०कं० 110 / 12 विद्युत

शासन

.....अभियोगी

// बनाम //

रामेश्वर सिंह आदि

..... आरोपीगण

## Order sheet (contd)

case N0- 110/of 2012

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding officer	Signature of parties or pleaders where necessary
06.02.2017	<p>परिवादी द्वारा श्री मुकेश कुमार दुबे अधिवक्ता। आरोपीगण अनुपस्थित।</p> <p>प्रकरण आरोपीगण रामेश्वर, किशन महेश की उपस्थिति हेतु नियत है।</p> <p>पुलिस थाना गोरमी जिला भिण्ड से आरोपीगण के गिरफ्तारी वारण्ट इस तस्दीक के साथ वापिस प्राप्त कि वह फरार हो गये है एवं ज्ञात पते पर पर्याप्त प्रयासों के बाद भी नहीं मिल रहे है। फरारी साक्ष्य में साक्षी प्रधान आरक्षक कं० 945 उदयभान सिंह उपस्थित हैं।</p> <p>उनकी फरारी साक्ष्य अंतर्गत धारा 299 द०प्र०सं० लेखबद्ध की गई। उन्होंने शपथपूर्वक तामिली रिपोर्ट का समर्थन किया है। उनकी रिपोर्ट पर विश्वास करते हुये आरोपीगण को फरार घोषित किया जाता है। उनके विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो। स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट संबंधित प्रधान आरक्षक उदयभान सिंह को प्रदत्त कर पावती आदेश पत्रिका में ली जावे।</p> <p>धारा 82 द०प्र०सं० के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो। धारा 83 द०प्र०सं० के अंतर्गत कार्यवाही के लिए अभियोजन अभियुक्तगण की सम्पत्ति का विवरण पेश करे।</p> <p>प्रकरण में आरोपीगण फरार हैं। तदनुसार अभिलेख व मुद्देमाल सुरक्षित रखने संबंधी टीप प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से अंकित की जावे।</p> <p>प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है।</p> <p>परिणाम पंजी में अंकित कर विहित अवधि में दाखिल</p>	

	<p>अभिलेखागार किया जावे।</p> <p>सही / – (डॉ० कुलदीप जैन) विशेष न्यायाधीश (विद्युत) भिण्ड (म०प्र०)</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)